फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/49) **बाबरिया उर्फ बाबरू के बजाय धनकी व अन्य बनाम मनोज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री प्रमोद दाणी - वकील अपीलार्थी 2. श्री भवानीशंकर पानेरी - वकील प्रत्यर्थी-4 से 10 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-11 **अनवान** **1. बाबरिया उर्फ बाबरू पिता स्व. सवा रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय-** **1.1. श्रीमती धनकी बाई पत्नि स्व. बाबरिया उर्फ बाबरू पिता स्व. सवा रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ।** **1.2. श्रीमती गोपी बाई पुत्री स्व. बाबरिया उर्फ बाबरू रावत पत्नि श्री मोहनलाल रावत, निवासी बागपुरा, पोस्ट अरनोड, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ।** **1.3. श्रीमती प्यारी बाई पुत्री स्व. बाबरिया उर्फ बाबरू रावत पत्नि श्री लच्छीराम रावत, निवासी खाखरिया खेडी, बोहेडा तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ।** **1.4. श्रीमती सुखी पुत्री स्व. बाबरिया उर्फ बाबरू रावत पत्नि श्री मोहनलाल रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ।** **1.5. श्रीमती कालीबाई पुत्री स्व. बाबरिया उर्फ बाबरू रावत पत्नि श्री गणेशराम मीणा, निवासी सेठवाना, करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ।** **1.6. श्री रामलाल पिता स्व. बाबरिया उर्फ बाबरू रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ।** **2. श्रीमती नानी पत्नि स्व. भेरा रावत, निवासी बिलोट तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **3. श्री प्रभु पिता स्व. भेरा रावत, निवासी बिलोट तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **4. श्री कुशीराम पिता स्व. भेरा रावत, निवासी बिलोट तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **5. श्री रामलाल पिता स्व. बालू रावत, निवासी बिलोट तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **अपीलार्थी** **1. श्री मनोज पिता मांगीलाल रावत, निवासी बिलोट, पोस्ट देलवास, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्री मांगीलाल पिता स्व. कजोड रावत, निवासी बिलोट, पोस्ट देलवास, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. बगदीबाई पिता स्व. कजोड रावत पत्नि भेरू रावत, निवासी महूडी खेडा, तलावदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **4. श्रीमती लालीबाई पिता स्व. भेरा राव पत्नि श्री शंकरसिंह मीणा, निवासी करणपुर कलां, पोस्ट साटोला, तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़।** **5. श्रीमती कला पिता स्व. भेरा राव पत्नि श्री लिम्बा मीणा, निवासी करणपुर खुर्द, पोस्ट साटोला, तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़।** **6. श्रीमती देउबाई पत्नि स्व. बालू रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **7. सुकणा पुत्री पिता स्व. बालू रावत, निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **8. गंगा पुत्री पिता स्व. बालू रावत, निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **9. श्री शिवा पिता स्व. बालू रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **10. रेखा पुत्री पिता स्व. बालू रावत जरिये माता श्रीमती देउबाई पत्नि स्व. बालू रावत, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी देवली, पोस्ट मानपुरा जागीर, मानपुरा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।** **11. तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी**	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/49) **बाबरिया उर्फ बाबरू के बजाय धनकी व अन्य बनाम मनोज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला, बप्रकरण संख्या 13/2021 निर्णय दिनांक 22.12.2021 (अनवान श्री श्री मनोज रावत बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का बिलोट)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.10.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला, बप्रकरण संख्या 13/2021 निर्णय दिनांक 22.12.2021 (अनवान श्री श्री मनोज रावत बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का बिलोट) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री मनोज पिता मांगीलाल रावत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिलोट, पटवार हल्का बिलोट, तहसील डूंगला में श्रीमती भोलीबाई पत्नि श्री केशीराम रावत, निवासी बिलोट के नाम से शामलाती खातेदारी की आराजीयात स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 212, 213, 214 है। श्रीमती भोली बाई द्वारा उसकी सेवाचाकरी से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में दिनांक 14.05.2016 को वसीयतनामा निष्पादित किया। श्रीमती भोलीबाई की मृत्यु दिनांक 04.11.2020 को हो गई जिसका वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण उसके पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

- उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा-135(2) के तहत दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की और निर्णय दिनांक 22.12.2021 से विवादित आराजीयात श्री मनोज पिता मांगीलाल रावत के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई एवं साथ में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी मय शपथ प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 04.10.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-4 से 11 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना कभी उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी-4 से 10 अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी का उपलब्ध कराई गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि कथित वसीयतनामा एक सादे कागज पर होकर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो फर्जी होकर बनावटी है। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, न ही इस हेतु कोई प्रावधान है। उक्त भूमि श्रीमती भोली बाई को उसके पति स्व. श्री केशिया की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई और श्री केशिया का विवादित भूमि उत्तराधिकार से उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई। श्रीमती भोलीबाई की दिनांक 04.11.2020 को बेऔलाद मृत्यु हुई। श्रीमती भोलीबाई की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त भूमि का स्वत्व श्रीमती भोली के पति के जीवित वारिसान में अपने हक व हिस्से अनुसार निहित हो गया तथा इसी आधार पर श्रीमती भोलीबाई के पति के वारिसानों में अपने हक एवं हिस्से के अनुसार उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था, जो नहीं होकर अपंजीकृत वसीयत के आधाार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो निरस्तनीय है। श्री मनोज द्वारा सम्पत्ति हडपने के प्रयास के उक्त फर्जी वसीयत तैयार अविधिक नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया। उक्त वसीयत में लिखी गई ईबारत वसीयत पर संदेह उत्पन्न करती है। उक्त वसीयत में वसीयत लिखने वाले के कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जबकि उसके द्वारा वसीयत लिखने का हवाला दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतशुदा भूमि श्रीमती भोलीबाई की स्वअर्जित न होकर विरासत से प्राप्त हुई है। वसीयतशुदा आराजीयात के पैतृक भूमि होने के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई, न ही निर्णय में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/49) **बाबरिया उर्फ बाबरू के बजाय धनकी व अन्य बनाम मनोज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वअर्जित एवं पुश्तैनी होने पर अपना निष्कर्ष वर्णित किया गया है। वसीयत अपंजीकृत है और नियमों के तहत अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वसीयतनामा विवादित होने से मूल वाद में इसकी विश्वसनीयता साबित करानी होती है। इसके लिए सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को वसीयत के वैधता एवं प्रमाणन को अधिकार प्राप्त नहीं है। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर कार्यवाही की गई है। जहां वसीयत विवादित हो वहा वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित किया जाना प्रावधित है। अतः पुश्तैनी आराजीयात को मृतक के वारिस को विरासत से हस्तांतरित किया जाना कानूनन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमती भोलीबाई व श्री केशिया के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जांच नहीं की गई और न ही उनको सुना गया और प्रकरण में पक्षकार बनाया गया जो विधिक दृष्टि से आवश्यक है। उक्त भूमि में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट 2 से 10 का प्राकृतिक वारिसान होने से विरासत से हक व अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से यह अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी को पक्षकार नहीं बनाये जाने उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को होना संभव नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किया गया, जिससे अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने बाबत अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का भी संलग्न किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2021 को निरस्त कर विवादित आराजीयात का विरासत से नामान्तरकरण श्री केशिया के सभी विधिक वारिसान यानि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 तक के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. 2016(2) आरआरटी पेज 1099
2. 2014(1) आरआरटी पेज 209
3. रामकिशन बनाम आईदान-अपील संख्या 4227/2005 दिनांक 29.10.2013 माननीय राजस्व मण्डल

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का समर्थन करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी-4 से 10 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की और अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2021 को निरस्त कर विवादित आराजीयात का विरासत से नामान्तरकरण श्री केशिया के सभी विधिक वारिसान यानि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 तक के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने का निवेदन किया।

राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन निर्णय से उनके हक एवं अधिकार प्रभावित होने का कथन प्रस्तुत किया है और इसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिनका उल्लेख निर्णय में आगे किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/49) **बाबरिया उर्फ बाबरू के बजाय धनकी व अन्य बनाम मनोज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री मनोज पिता मांगीलाल रावत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिलोट, पटवार हल्का बिलोट, तहसील डूंगला में श्रीमती भोलीबाई पत्नि श्री केशीराम रावत, निवासी बिलोट के नाम से शामलाती खातेदारी की आराजीयात स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 212, 213, 214 है। श्रीमती भोली बाई द्वारा उसकी सेवाचाकरी से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में दिनांक 14.05.2016 को वसीयतनामा निष्पादित किया। श्रीमती भोलीबाई की मृत्यु दिनांक 04.11.2020 को हो गई जिसका वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण उसके पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा-135(2) के तहत दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की और निर्णय दिनांक 22.12.2021 से विवादित आराजीयात श्री मनोज पिता मांगीलाल रावत के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। इस प्रावधान के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व कथित अनरजिस्टर्ड वसीयत के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वसीयत में विवादित आराजीयात श्रीमती भोलीबाई के पति को विरासत से एवं कुछ भूमि शामलाती में क्रय किये जाने का उल्लेख है, परन्तु इसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा न ही इस न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है। उक्त भूमि श्रीमती भोलीबाई की स्वअर्जित भूमि न होकर उसके पति की मृत्यु उपरान्त उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला द्वारा विवादित भूमियों के अर्जन के सम्बन्ध में कोई अपेक्षित जांच की कार्यवाही सम्पादित की गई। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित समस्त सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक भी है। निर्विवादित स्थिति यह भी है कि श्रीमती भोलीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत अपंजीकृत है, राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है साथ ही जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है- "Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided." इसके अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। 2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है- "Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR" 2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/49) **बाबरिया उर्फ बाबरू के बजाय धनकी व अन्य बनाम मनोज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है-

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की है, अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतका एवं उसके पति के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जाचं नहीं की, यदि जांच की कार्यवाही सम्पादित की जाती तो जो आपत्तियां इस न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की गई, वह उनके समक्ष प्रस्तुत होती। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, डूंगला से यह अपेक्षित था कि वह धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में सभी पक्षों का सुने परन्तु इस प्रकरण में वारिसान का सुना ही नहीं गया केवल वसीयत की जांच की कार्यवाही सम्पादित कर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। पुनः लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतशुदा आराजीयात के पैतृक भूमि होने के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई, न ही निर्णय में स्वअर्जित एवं पुश्तैनी होने पर अपना निष्कर्ष वर्णित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक मांगीलाल को प्राप्त सम्पत्ति स्वंअजित है या पैतृक है, इस संबंध में तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला द्वारा अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री मनोज रावत के आवेदन को स्वीकार कर वसीयत दिनांक 14.05.2016 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 22.12.2021 पारित किया है, वह उपरोक्त विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में न्यायोचित नहीं होने से निरस्तनीय है। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी-4 से 10 द्वारा उक्त वसीयत पर वारिसान के आधार अपनी आपत्ति न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत की है। इस प्रकरण में प्रथमदृष्टया एवं अध्ययन उपरान्त विवादित भूमियों का विरासत का नामान्तरकरण श्री केशिया उर्फ केशीराम रावत पति श्री भोलीबाइ के सभी विधिक वारिसान (अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-2 से 10) के नाम स्वीकृत किया जाना उपरोक्त विधिक परिपेक्ष्य में अपेक्षित है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी-1 को चाहिये कि वह इसे साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। तहसीलदार (भू-अभिलेख), डूंगला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2021 निरस्त/अपास्त किया जाकर श्रीमती भोलीबाई की राजस्व ग्राम बिलोट तहसील डूंगला की खाता संख्या 212, 213, 214 पर अंकित आराजीयात श्री केशिया उर्फ केशीराम रावत पति श्री भोलीबाई के सभी विधिक वारिसान (अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-2 से 10) के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/49) **बाबरिया उर्फ बाबरू के बजाय धनकी व अन्य बनाम मनोज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	